

पेशक

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
अल्मोड़ा।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/

7036

देहरादून दिनांक 10 मार्च, 2023

विषय:- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या-3प/प0क0/स्वा0कार्य0/73/2010/5908, दिनांक 14.03.2016, के अन्तर्गत विज्ञापित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम सशोधन)-1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्समय महानिदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करते हुए आपके जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पद के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में तैनाती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक आपसे सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है:-

क्र० सं०	नाम	पिता /पति का नाम	पता	गृह जनपद	ए0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	जन्म तिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी (उर्ध्व/क्षैतिज)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कु० रेनु जोशी	श्री दया किशन जोशी	एन टी डी, पो०ओ० बल्दोटी, अल्मोड़ा।	अल्मोड़ा।	जुलाई-2009	20.01.1984	Gen
2	कु० ममता साह	स्व० श्री सुन्दर लाल साह	52 सीडी, लाला बाजार, अल्मोड़ा।	अल्मोड़ा।	जुलाई-2009	12.05.1987	Gen

उपरोक्त नियुक्तियाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 440 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2016 के सापेक्ष जारी चयन परिणाम में दिव्यांगजनों हेतु अग्रेनीत किये गये सामान्य श्रेणी के 33 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में प्रदान की जा रही है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के द्वारा रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 का नियमानुसार अनुपालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपरोक्त सूची में उल्लिखित/चयनित अभ्यर्थियों को अपने जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों/स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के स्थाई रिक्त पदों पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र जारी कर इस महानिदेशालय को भी अवगत करायें:-

1. चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु०-5200-20200 वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन-2000 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-3, रु०-21,700-69100) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।
2. यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम सशोधन)-1998 के अधीन की जा रही है।
3. उनकी यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और कभी भी पिन पद सूचकांक के विना कारण बनाये प्रमाण की जा सकती है।

4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर माना जायेगा। प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर कर ली हो परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। परीवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी प्रकार के प्रतिकर के अधिकारी नहीं होंगे।
 5. सेवा सम्बन्धी मामलों में अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा बाह्य दबाव का प्रयोग किया गया अथवा करवाया गया तो उत्तरांचल सरकारी सेवा नियमावली-2002 के अधीन यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 6. चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन उनके गृह जनपद के पुलिस अधीक्षक से कराकर प्राप्त सत्यापन सूचना की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाये।
- 2- अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व उनके निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों को जांचोपरान्त स्वयं पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें:-**

- क. हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र।
- ख. शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता (ए0एन0एम0) सम्बन्धी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
- ग. उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइक्स काउन्सिल द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का मिलान करना सुनिश्चित करें।
- घ. आरक्षित श्रेणी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों), विवाहित महिला अभ्यर्थी के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैवाहिक प्रमाण पत्र।
- च. जिन चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य में लागू आरक्षण के अन्तर्गत चयनित किया गया है। अतः उनके उत्तराखण्ड मूल/स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यकीय रूप से देखने के पश्चात ही उन्हें नियुक्ति आदेश दिया जाय।
- छ. उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ज. अभ्यर्थी का पहचान पत्र।

3- उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां प्राप्त कर उन्हें स्वयं प्रमाणित कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लें व सम्बन्धित अभिलेखों की एक-एक प्रमाणित प्रति इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें तथा अभ्यर्थियों को योगदान कराते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी मूल रूप में प्राप्त कर लिये जायें:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
2. अन्तिम शिक्षा/प्रशिक्षण जहां से प्राप्त किया हो उस संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
3. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
4. संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण-पत्र।
5. उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित का अनुपालन करने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
6. चल/अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
7. नियुक्ति पत्र में इस आशय का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया जाये कि नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल में किसी भी समय में किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों, घोषणा के आधार पर नियुक्ति पाई है तो उनकी सेवाएँ तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, इस आशय का शपथपत्र योगदान कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त कर लिया जाये।
8. जिन अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अपने मूल जनपद से इतर आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति पत्र।
9. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्रों/जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है, से अवश्य करा लें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह उल्लेखित हो कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक पति/पत्नी न हों।
11. निर्धारित तिथि (..... अप्रैल, 2023) के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को योगदान न कराया जाये तथा योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूची स्पीड पोस्ट/विशेष पत्र वाहक द्वारा महानिदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

4- उपरोक्त वर्णित सूची में अंकित क्रमांक संख्या को अभ्यर्थी की वरिष्ठता न मानते हुये चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता नियमानुसार जनपद स्तर पर निर्धारित कर ली जाये।

नोट:- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करने के उपरान्त उनकी सूचना सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को भेज दी जाये।

भवदीया,

Bak
10.3.23
(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, हाऊस न0-23, लेन न0-3, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून को शासन के उक्त पत्र दिनांक 21.02.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संज्ञानित होते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापित दिनांक 15.03.2022 के सापेक्ष घोषित चयन परिणाम दिनांक 16.01.2023 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. कु0/श्रीमती/सुश्री.....पुत्री/पत्नी.....को इस आशय से प्रेषित कि विलम्बतम् दिनांक अप्रैल, 2023 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा से उपरोक्त वर्णित मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों तथा उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों सहित सम्पर्क करें। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति हेतु आपका चयन/अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(सरोज नैथानी)
निदेशक (रा0का0)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
चमोली।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/1044

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2023

विषय:- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या-3प/प0क0/स्वा0कार्य0/73/2010/5908, दिनांक 14.03.2016, के अन्तर्गत विज्ञापित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्समय महानिदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करते हुए, आपके जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पद के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में तैनाती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक आपसे सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है:-

क्र० सं०	नाम	पिता /पति का नाम	पता	गृह जनपद	ए0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	जन्म तिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी (उर्ध्व/क्षैतिज)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संगीता बिष्ट	श्री डब्लु सिंह	ग्राम सिरोली, निकट अनूसुया गेट, पो0ओ0 मण्डल, चमोली।	चमोली।	जुलाई-2009	03.07.1984	Gen

उपरोक्त नियुक्तियाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 440 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2016 के सापेक्ष जारी चयन परिणाम में दिव्यांगजनों हेतु अग्रणीत किये गये सामान्य श्रेणी के 33 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में प्रदान की जा रही है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के द्वारा रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 का नियमानुसार अनुपालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपरोक्त सूची में उल्लिखित/चयनित अभ्यर्थियों को अपने जनपद के स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के स्थाई रिक्त पदों पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र जारी कर इस महानिदेशालय को भी अवगत करायें:-

- चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू0-5200-20200 वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन-2000 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-3, रू0-21,700-69100) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 के अधीन की जा रही है।
- उनकी यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और कभी भी बिना पूर्व सूचना के बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर माना जायेगा। प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब अपने परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर कर ली

हो परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी प्रकार के प्रतिकर के अधिकारी नहीं होंगे।

5. सेवा सम्बन्धी मामलों में अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा बाह्य दबाव का प्रयोग किया गया अथवा करवाया गया तो उत्तरांचल सरकारी सेवा नियमावली-2002 के अधीन यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों के पूर्वावृत्त का सत्यापन उनके गृह जनपद के पुलिस अधीक्षक से कराकर प्राप्त सत्यापन सूचना की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

2- अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व उनके निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों को जांचोपरान्त स्वयं पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें:-

- क. हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र।
- ख. शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता (ए0एन0एम0) सम्बन्धी अकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
- ग. उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का मिलान करना सुनिश्चित करें।
- घ. आरक्षित श्रेणी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों), विवाहित महिला अभ्यर्थी के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैवाहिक प्रमाण पत्र।
- च. जिन चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य में लागू आरक्षण के अन्तर्गत चयनित किया गया है। अतः उनके उत्तराखण्ड मूल/स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देखने के पश्चात ही उन्हें नियुक्ति आदेश दिया जाय।
- छ. उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ज. अभ्यर्थी का पहचान पत्र।

3- उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां प्राप्त कर उन्हें स्वयं प्रमाणित कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लें व सम्बन्धित अभिलेखों की एक-एक प्रमाणित प्रति इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें तथा अभ्यर्थियों को योगदान कराते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी मूल रूप में प्राप्त कर लिये जायें:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
2. अन्तिम शिक्षा/प्रशिक्षण जहां से प्राप्त किया हो उस संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
3. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
4. संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण-पत्र।
5. उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित का अनुपालन करने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
6. चल/अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
7. नियुक्ति पत्र में इस आशय का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया जाये कि नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल में किसी भी समय में किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों, घोषणा के आधार पर नियुक्ति पाई है तो उनकी सेवाएँ तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, इस आशय का शपथपत्र योगदान कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त कर लिया जाये।
8. जिन अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अपने मूल जनपद से इतर आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति पत्र।
9. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्रों/जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है, से अवश्य करा लें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह उल्लेखित हो कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक पति/पत्नी न हों।
11. निर्धारित तिथि (..... अप्रैल, 2023) के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को योगदान न कराया जाये तथा योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूची स्पीड पोस्ट/विशेष पत्र वाहक द्वारा महानिदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

4- उपरोक्त वर्णित सूची में अंकित क्रमांक संख्या को अभ्यर्थी की वरिष्ठता न मानते हुये चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता नियमानुसार जनपद स्तर पर निर्धारित कर ली जाये।

नोट:- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करने के उपरान्त उनकी सूचना सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को भेज दी जाये।

भवदीया
Bah
10.3.23
(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/ 1045
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

तददिनांक।

1. उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, हाऊस न0-23, लेन न0-3, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून को शासन के उक्त पत्र दिनांक 21.02.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संज्ञानित होते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2022 के सापेक्ष घोषित चयन परिणाम दिनांक 16.01.2023 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. कु0/श्रीमती/सुश्री.....पुत्री/पत्नी.....को इस आशय से प्रेषित कि विलम्बतम् दिनांक अप्रैल, 2023 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली से उपरोक्त वर्णित मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों तथा उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों सहित सम्पर्क करें। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति हेतु आपका चयन/अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(सरोज नैथानी)
निदेशक (रा0का0)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
देहरादून।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/1046

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2023

विषय:- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या-3प/प0क0/स्वा0कार्य0/73/2010/5908, दिनांक 14.03.2016, के अन्तर्गत विज्ञापित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्समय महानिदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करते हुए, आपके जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पद के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में तैनाती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 10.03.2023 अग्रे, अप्रैल, 2023 तक आपसे सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है:-

क्र० सं०	नाम	पिता /पति का नाम	पता	गृह जनपद	ए0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	जन्म तिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी (उर्ध्व/क्षैतिज)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती दीपिका बिष्ट	श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट	ग्राम मियावाला, पो0 हर्रावाला, देहरादून।	देहरादून।	जुलाई-2009	15.01.1986	Gen
2	श्रीमती संगीता बिष्ट	श्री दीपक बिष्ट	ग्राम मियावाला, पो0 हर्रावाला, देहरादून।	देहरादून।	जुलाई-2009	14.05.1983	Gen

उपरोक्त नियुक्तियाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 440 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2016 के सापेक्ष जारी चयन परिणाम में दिव्यांगजनों हेतु अग्रेनीत किये गये सामान्य श्रेणी के 33 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में प्रदान की जा रही है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-I/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के द्वारा रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 का नियमानुसार अनुपालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपरोक्त सूची में उल्लिखित/चयनित अभ्यर्थियों को अपने जनपद के स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के स्थाई रिक्त पदों पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र जारी कर इस महानिदेशालय को भी अवगत करायें:-

1. चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु०-5200-20200 वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन-2000 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-3, रु०-21,700-69100) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।
2. यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 के अधीन की जा रही है।
3. उनकी यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और कभी भी बिना पूर्व सूचना के बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर माना जायेगा। प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर कर ली हो परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। परीवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी प्रकार के प्रतिकर के अधिकारी नहीं होंगे।
 5. सेवा सम्बन्धी मामलों में अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वाह्य दबाव का प्रयोग किया गया अथवा करवाया गया तो उत्तरांचल सरकारी सेवा नियमावली-2002 के अधीन यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 6. चयनित अभ्यर्थियों के पूर्वावृत्त का सत्यापन उनके गृह जनपद के पुलिस अधीक्षक से कराकर प्राप्त सत्यापन सूचना की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाये।
- 2- अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व उनके निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों को जांचोपरान्त स्वयं पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें:-

- क. हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र।
- ख. शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता (ए0एन0एम0) सम्बन्धी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
- ग. उत्तराखण्ड नर्सस एण्ड मिडवाइव्स काऊन्सिल द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का मिलान करना सुनिश्चित करें।
- घ. आरक्षित श्रेणी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों), विवाहित महिला अभ्यर्थी के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैवाहिक प्रमाण पत्र।
- च. जिन चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य में लागू आरक्षण के अन्तर्गत चयनित किया गया है। अतः उनके उत्तराखण्ड मूल/स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यकीय रूप से देखने के पश्चात ही उन्हें नियुक्ति आदेश दिया जाय।
- छ. उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ज. अभ्यर्थी का पहचान पत्र।

- 3- उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां प्राप्त कर उन्हें स्वयं प्रमाणित कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लें व सम्बन्धित अभिलेखों की एक-एक प्रमाणित प्रति इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें तथा अभ्यर्थियों को योगदान कराते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी मूल रूप में प्राप्त कर लिये जायें:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
2. अन्तिम शिक्षा/प्रशिक्षण जहां से प्राप्त किया हो उस संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
3. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
4. संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण-पत्र।
5. उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित का अनुपालन करने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
6. चल/अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
7. नियुक्ति पत्र में इस आशय का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया जाये कि नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल में किसी भी समय में किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों, घोषणा के आधार पर नियुक्ति पाई है तो उनकी सेवाएं तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, इस आशय का शपथपत्र योगदान कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त कर लिया जाये।
8. जिन अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अपने मूल जनपद से इतर आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति पत्र।
9. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्रों/जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है, से अवश्य करा लें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह उल्लेखित हो कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक पति/पत्नी न हों।
11. निर्धारित तिथि (..... अप्रैल, 2023) के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को योगदान न कराया जाये तथा योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूची स्पीड पोस्ट/विशेष पत्र वाहक द्वारा महानिदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

4- उपरोक्त वर्णित सूची में अंकित क्रमांक संख्या को अभ्यर्थी की वरिष्ठता न मानते हुये चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता नियमानुसार जनपद स्तर पर निर्धारित कर ली जाये।

नोट:- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करने के उपरान्त उनकी सूचना सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को भेज दी जाये।

भवदीया,

Bak
10.3.23

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

पत्र सं०:-3प/प0क0/05/23/2021/1047 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, हाऊस न0-23, लेन न0-3, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून को शासन के उक्त पत्र दिनांक 21.02.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संज्ञानित होते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2022 के सापेक्ष घोषित चयन परिणाम दिनांक 16.01.2023 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. कु0/श्रीमती/सुश्री.....पुत्री/पत्नी.....को इस आशय से प्रेषित कि विलम्बतम् दिनांक अप्रैल, 2023 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून से उपरोक्त वर्णित मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों तथा उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों सहित सम्पर्क करें। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति हेतु आपका चयन/अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(सरोज नैथानी)
निदेशक (रा0का0)

(Signature)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/1048

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2023

विषय:- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या-3प/प0क0/स्वा0कार्य0/73/2010/5908, दिनांक 14.03.2016, के अन्तर्गत विज्ञापित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्समय महानिदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करते हुए, आपके जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पद के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में तैनाती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक आपसे सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है:-

क्र० सं०	नाम	पिता /पति का नाम	पता	गृह जनपद	ए0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	जन्म तिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी (उर्ध्व/द्वैतिज)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती सरिता	श्री चमन लाल	म0न0-20/2, महतान, ज्वालपुर, हरिद्वार	हरिद्वार	जुलाई-2009	20.07.1977	Gen
2	श्रीमती रश्मि चौहान	श्री निजपाल सिंह	ग्राम मीरपुर, पो0 गढमीरपुर, हरिद्वार।	हरिद्वार।	जुलाई-2009	01.10.1976	Gen

उपरोक्त नियुक्तियाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 440 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2016 के सापेक्ष जारी चयन परिणाम में दिव्यांगजनों हेतु अग्रेनीत किये गये सामान्य श्रेणी के 33 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में प्रदान की जा रही है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के द्वारा रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 का नियमानुसार अनुपालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपरोक्त सूची में उल्लिखित/चयनित अभ्यर्थियों को अपने जनपद के स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के स्थाई रिक्त पदों पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र जारी कर इस महानिदेशालय को भी अवगत करायें:-

1. चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू0-5200-20200 वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन-2000 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-3, रू0-21,700-69100) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।
2. यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 के अधीन की जा रही है।
3. उनकी यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और कभी भी बिना पूर्व सूचना के बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर माना जायेगा। प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर कर ली हो परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। परीवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी प्रकार के प्रतिकर के अधिकारी नहीं होंगे।
5. सेवा सम्बन्धी मामलों में अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा बाह्य दबाव का प्रयोग किया गया अथवा करवाया गया तो उत्तरांचल सरकारी सेवा नियमावली-2002 के अधीन यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन उनके गृह जनपद के पुलिस अधीक्षक से कराकर प्राप्त सत्यापन सूचना की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

2- अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व उनके निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों को जांचोपरान्त स्वयं पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें:-

- क. हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र।
- ख. शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता (ए0एन0एम0) सम्बन्धी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
- ग. उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का मिलान करना सुनिश्चित करें।
- घ. आरक्षित श्रेणी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों), विवाहित महिला अभ्यर्थी के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैवाहिक प्रमाण पत्र।
- च. जिन चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य में लागू आरक्षण के अन्तर्गत चयनित किया गया है। अतः उनके उत्तराखण्ड मूल/स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यकीय रूप से देखने के पश्चात ही उन्हें नियुक्ति आदेश दिया जाय।
- छ. उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ज. अभ्यर्थी का पहचान पत्र।

3- उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां प्राप्त कर उन्हें स्वयं प्रमाणित कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लें व सम्बन्धित अभिलेखों की एक-एक प्रमाणित प्रति इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें तथा अभ्यर्थियों को योगदान कराते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी मूल रूप में प्राप्त कर लिये जायें:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
2. अन्तिम शिक्षा/प्रशिक्षण जहां से प्राप्त किया हो उस संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
3. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
4. संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण-पत्र।
5. उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित का अनुपालन करने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
6. चल/अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
7. नियुक्ति पत्र में इस आशय का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया जाये कि नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल में किसी भी समय में किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों, घोषणा के आधार पर नियुक्ति पाई है तो उनकी सेवाएं तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, इस आशय का शपथपत्र योगदान कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त कर लिया जाये।
8. जिन अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अपने मूल जनपद से इतर आंगटित जनपद में नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति पत्र।
9. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्रों/जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है, से अवश्य करा लें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह उल्लेखित हो कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक पति/पत्नी न हों।
11. निर्धारित तिथि (..... अप्रैल, 2023) के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को योगदान न कराया जाये तथा योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूची स्पीड पोस्ट/विशेष पत्र वाहक द्वारा महानिदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

4- उपरोक्त वर्णित सूची में अंकित क्रमांक संख्या को अभ्यर्थी की वरिष्ठता न मानते हुये चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता नियमानुसार जनपद स्तर पर निर्धारित कर ली जाये।

नोट:- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करने के उपरान्त उनकी सूचना सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को भेज दी जाये।

भवदीया,

Boh
10.3.23
(विनीता शाह)

महानिदेशक।

पत्र सं०:-35/प0क0/05/23/2021/7049 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, हाऊस न0-23, लेन न0-3, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून को शासन के उक्त पत्र दिनांक 21.02.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संज्ञानित होते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापित दिनांक 15.03.2022 के सापेक्ष घोषित चयन परिणाम दिनांक 16.01.2023 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. कु0/श्रीमती/सुश्री.....पुत्री/पत्नी.....को इस आशय से प्रेषित कि विलम्बतम् दिनांक अप्रैल, 2023 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार से उपरोक्त वर्णित मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों तथा उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों सहित सम्पर्क करें। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति हेतु आपका चयन/अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(सरोज नैथानी)
निदेशक (रा0का0)

Boh

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
नैनीताल।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/1050

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2023

विषय:- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या-3प/प0क0/स्वा0कार्य0/73/2010/5908, दिनांक 14.03.2016, के अन्तर्गत विज्ञापित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्समय महानिदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करते हुए, आपके जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पद के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में तैनाती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक आपसे सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है:-

क्र० सं०	नाम	पिता /पति का नाम	पता	गृह जनपद	ए0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	जन्म तिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी (उर्ध्व/क्षैतिज)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती नीमा गोस्वामी	श्री सुरेन्द्र नाथ	ग्राम-दुर्गापालपुर मोतीराम, पो0ओ0-हल्द्वीचौड, तहसील-लालकुआ, जिला-नैनीताल।	नैनीताल।	जुलाई-2009	28.08.1984	Gen
2	श्रीमती हेमलता नेगी	श्री हेमन्त सिंह नेगी	ग्राम व पो0ओ0 मानपुर पश्चिम देवलचौड हल्द्वानी, नैनीताल।	नैनीताल।	जुलाई-2009	03.02.1985	Gen

उपरोक्त नियुक्तियाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 440 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2016 के सापेक्ष जारी चयन परिणाम में दिव्यांगजनों हेतु अग्रणीत किये गये सामान्य श्रेणी के 33 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में प्रदान की जा रही है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के द्वारा रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 का नियमानुसार अनुपालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपरोक्त सूची में उल्लिखित/चयनित अभ्यर्थियों को अपने जनपद के स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के स्थाई रिक्त पदों पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र जारी कर इस महानिदेशालय को भी अवगत कराये:-

- चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु0-5200-20200 वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन-2000 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-3, रु0-21,700-69100) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 के अधीन की जा रही है।

3. उनकी यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई है और कभी भी बिना पूर्व सूचना के बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर माना जायेगा। प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर कर ली हो परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। परीवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी प्रकार के प्रतिकर के अधिकारी नहीं होंगे।
5. सेवा सम्बन्धी मामलों में अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा बाह्य दबाव का प्रयोग किया गया अथवा करवाया गया तो उत्तरांचल सरकारी सेवा नियमावली-2002 के अधीन यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन उनके गृह जनपद के पुलिस अधीक्षक से कराकर प्राप्त सत्यापन सूचना की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

2- अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व उनके निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों को जांचोपरान्त स्वयं पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें:-

- क. हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र।
- ख. शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता (ए0एन0एम0) सम्बन्धी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
- ग. उत्तराखण्ड नर्सस एण्ड मिडवाइव्स काऊन्सिल द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का मिलान करना सुनिश्चित करें।
- घ. आरक्षित श्रेणी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों), विवाहित महिला अभ्यर्थी के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैवाहिक प्रमाण पत्र।
- च. जिन चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य में लागू आरक्षण के अन्तर्गत चयनित किया गया है। अतः उनके उत्तराखण्ड मूल/स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यकीय रूप से देखने के पश्चात ही उन्हें नियुक्ति आदेश दिया जाय।
- छ. उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ज. अभ्यर्थी का पहचान पत्र।

3- उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां प्राप्त कर उन्हें स्वयं प्रमाणित कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लें व सम्बन्धित अभिलेखों की एक-एक प्रमाणित प्रति इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें तथा अभ्यर्थियों को योगदान कराते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी मूल रूप में प्राप्त कर लिये जायें:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
2. अन्तिम शिक्षा/प्रशिक्षण जहां से प्राप्त किया हो उस संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
3. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
4. संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण-पत्र।
5. उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित का अनुपालन करने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
6. चल/अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
7. नियुक्ति पत्र में इस आशय का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया जाये कि नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल में किसी भी समय में किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों, घोषणा के आधार पर नियुक्ति पाई है तो उनकी सेवाएँ तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, इस आशय का शपथपत्र योगदान कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त कर लिया जाये।
8. जिन अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अपने मूल जनपद से इतर आंवटित जनपद में नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति पत्र।
9. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्रों/जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है, से अवश्य करा लें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह उल्लेखित हो कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक पति/पत्नी न हों।

11. निर्धारित तिथि (..... अप्रैल, 2023) के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को योगदान न कराया जाये तथा योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूची स्पीड पोस्ट/विशेष पत्र वाहक द्वारा महानिदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

4- उपरोक्त वर्णित सूची में अंकित क्रमांक संख्या को अभ्यर्थी की वरिष्ठता न मानते हुये चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता नियमानुसार जनपद स्तर पर निर्धारित कर ली जाये।

नोट:- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करने के उपरान्त उनकी सूचना सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को भेज दी जाये।

भवदीया,

Bah
10.3.23

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/1051

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, हाऊस न0-23, लेन न0-3, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून को शासन के उक्त पत्र दिनांक 21.02.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संज्ञानित होते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2022 के सापेक्ष घोषित चयन परिणाम दिनांक 16.01.2023 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. कु0/श्रीमती/सुश्री.....पुत्री/पत्नी.....को इस आशय से प्रेषित कि विलम्बतम् दिनांक अप्रैल, 2023 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल से उपरोक्त वर्णित मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों तथा उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों सहित सम्पर्क करें। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति हेतु आपका चयन/अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(सरोज नैथानी)
निदेशक (रा10का0)

(Signature)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

पत्र सं०:-3प/प0क0/05/23/2021/1052

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2023

विषय:- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या-3प/प0क0/स्वा0कार्य0/73/2010/5908, दिनांक 14.03.2016, के अन्तर्गत विज्ञापित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्समय महानिदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करते हुए, आपके जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पद के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में तैनाती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक आपसे सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है:-

क्र0 स0	नाम	पिता /पति का नाम	पता	गृह जनपद	ए0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	जन्म तिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी (उर्ध्व/ क्षैतिज)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती संगीता रावत	श्री विक्रम सिंह रावत	मेन बाजार, रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल।	पौड़ी गढ़वाल	जुलाई-2009	07.02.1978	Gen
2	श्रीमती मनीषा रावत	श्री मंगल सिंह रावत	चन्द्र भवन, विकास मार्ग, पौड़ी गढ़वाल।	पौड़ी गढ़वाल।	जुलाई-2009	01.07.1986	Gen
3	श्रीमती मीनाक्षी नेगी	श्री राकेश नेगी	ग्राम काण्डई, पो0 पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल।	पौड़ी गढ़वाल।	जुलाई-2009	02.06.1983	Gen
4	श्रीमती हेमलत्ता	श्री आशोक कुमार	ग्राम गहड, पो0ओ0 गूमखाल, पौड़ी गढ़वाल।	पौड़ी गढ़वाल।	जुलाई-2009	14.03.1986	Gen
5	श्रीमती कमलेश नेगी	श्री किशन सिंह नेगी	आमकुन्ज बुधाणी रोड, नियर टीचर्स कॉलोनी, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।	पौड़ी गढ़वाल।	जुलाई-2009	01.05.1981	Gen
6	कु0 अर्चना	श्री ज्योति प्रसाद धूलिया	ग्राम बयेला तल्ला पो0 रिखणीखाल, पट्टी चिलाब, दलपुर पौड़ी।	पौड़ी गढ़वाल।	जुलाई-2009	30.06.1987	Gen

उपरोक्त नियुक्तियाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 440 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2016 के सापेक्ष जारी चयन परिणाम में दिव्यांगजनों हेतु अग्रेनीत किये गये सामान्य श्रेणी के 33 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में प्रदान की जा रही है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के द्वारा रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 का नियमानुसार अनुपालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपरोक्त सूची में उल्लिखित/चयनित अभ्यर्थियों को अपने जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों/स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के स्थाई रिक्त पदों पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र जारी कर इस महानिदेशालय को भी अवगत कराये-

1. चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू0-5200-20200 वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन-2000 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-3, रू0-21,700-69100) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।
 2. यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 के अधीन की जा रही है।
 3. उनकी यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और कभी भी बिना पूर्व सूचना के बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
 4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर माना जायेगा। प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली हो परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किरा भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। परीवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी प्रकार के प्रतिकर के अधिकारी नहीं होंगे।
 5. सेवा सम्बन्धी मामलों में अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किराी सदस्य द्वारा बाह्य दबाव का प्रयोग किया गया अथवा करवाया गया तो उत्तरांचल सरकारी सेवा नियमावली-2002 के अधीन यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 6. चयनित अभ्यर्थियों के पूर्वावृत्त का सत्यापन उनके गृह जनपद के पुलिस अधीक्षक से कराकर प्राप्त सत्यापन सूचना की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाये।
- 2- अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व उनके निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों को जांचोपरान्त स्वयं पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें:-

क. हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र।

ख. शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता (ए0एन0एम0) सम्बन्धी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।

ग. उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का मिलान करना सुनिश्चित करें।

घ. आरक्षित श्रेणी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों), विवाहित महिला अभ्यर्थी के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैवाहिक प्रमाण पत्र।

च. जिन चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य में लागू आरक्षण के अन्तर्गत चयनित किया गया है। अतः उनके उत्तराखण्ड मूल/स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देखने के पश्चात ही उन्हें नियुक्ति आदेश दिया जाय।

छ. उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।

ज. अभ्यर्थी का पहचान पत्र।

3- उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां प्राप्त कर उन्हें स्वयं प्रमाणित कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लें व सम्बन्धित अभिलेखों की एक-एक प्रमाणित प्रति इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें तथा अभ्यर्थियों को योगदान कराते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी मूल रूप में प्राप्त कर लिये जायें:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।

2. अन्तिम शिक्षा/प्रशिक्षण जहां से प्राप्त किया हो उस संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।

3. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।

4. संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण-पत्र।

5. उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 तथा समय-समय पर यथा सशोधित का अनुपालन करने सम्बन्धी घोषणा पत्र।

6. चल/अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।

7. नियुक्ति पत्र में इस आशय का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया जाये कि नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल में किसी भी समय में किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों, घोषणा के आधार पर नियुक्ति पाई है तो उनकी सेवाएँ तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, इस आशय का शपथपत्र योगदान कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त कर लिया जाये।
8. जिन अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अपने मूल जनपद से इतर आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति पत्र।
9. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्रों/जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है, से अवश्य करा लें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह उल्लेखित हो कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक पति/पत्नी न हों।
11. निर्धारित तिथि (..... अप्रैल, 2023) के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को योगदान न कराया जाये तथा योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूची स्पीड पोस्ट/विशेष पत्र वाहक द्वारा महानिदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

4- उपरोक्त वर्णित सूची में अंकित क्रमांक संख्या को अभ्यर्थी की वरिष्ठता न मानते हुये चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता नियमानुसार जनपद स्तर पर निर्धारित कर ली जाये।

नोट:- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करने के उपरान्त उनकी सूचना सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को भेज दी जाये।

भवदीया,

Bah
10.3.23

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/1053

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, हाऊस न0-23, लेन न0-3, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून को शासन के उक्त पत्र दिनांक 21.02.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संज्ञानित होते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2022 के सापेक्ष घोषित चयन परिणाम दिनांक 16.01.2023 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. कु0/श्रीमती/सुश्री.....पुत्री/पत्नी.....को इस आशय से प्रेषित कि विलम्बतम् दिनांक अप्रैल, 2023 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल से उपरोक्त वर्णित मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों तथा उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों सहित सम्पर्क करें। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति हेतु आपका चयन/अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(सरोज नैथानी)

निदेशक (रा0का0)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
पिथौरागढ़।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/1054

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2023

विषय:- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या-3प/प0क0/स्वा0कार्य0/73/2010/5908, दिनांक 14.03.2016, के अन्तर्गत विज्ञापित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्समय महानिदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करते हुए आपके जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पद के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में तैनाती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक आपसे सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है:-

क्र० सं०	नाम	पिता /पति का नाम	पता	गृह जनपद	ए0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	जन्म तिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी (उर्ध्व/क्षैतिज)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती रंजना धानिक	श्री राजेन्द्र सिंह धानिक	ग्राम कुन्जनपुर, पो0 गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	जुलाई-2009	18.02.1982	Gen
2	दीपा पाण्डेय	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय	द्वारा-श्री पूरन चन्द जोशी, पुराना बाजार, भवानीगंज, पिथौरागढ़।	पिथौरागढ़।	जुलाई-2009	07.07.1978	Gen
3	भावना जोशी	श्री हरिश चन्द्र जोशी	ग्राम जाखनी, पो0 बिण, पिथौरागढ़।	पिथौरागढ़।	जुलाई-2009	07.05.1985	Gen
4	श्रीमती गीता पाण्डेय	श्री दीपक कुमार पाण्डेय	द्वारा-श्री जगदीश चन्द्र पाण्डेय, ग्राम-बस्ते, निकट पण्डा फार्म, पो0-सिलथाम, पिथौरागढ़।	पिथौरागढ़।	जुलाई-2009	18.12.1984	Gen
5	श्रीमती सावित्री खडायत	श्री सुरेन्द्र सिंह खडायत	ग्राम मढ़खडायत पो0ओ0 मढ़खडायत पिथौरागढ़।	पिथौरागढ़।	जुलाई-2009	20.11.1976	Gen

उपरोक्त नियुक्तियाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 440 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2016 के सापेक्ष जारी चयन परिणाम में दिव्यांगजनों हेतु अप्प्रेनीत किये गये सामान्य श्रेणी के 33 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में प्रदान की जा रही है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के द्वारा रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 का नियमानुसार अनुपालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उपरोक्त सूची में उल्लिखित/चयनित अभ्यर्थियों को अपने जनपद के स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के स्थाई रिक्त पदों पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र जारी कर इस महानिदेशालय को भी अवगत कराये:-

1. चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू0-5200-20200 वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन-2000 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-3, रू0-21,700-69100) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।
 2. यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 के अधीन की जा रही है।
 3. उनकी यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और कभी भी बिना पूर्व सूचना के बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
 4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर माना जायेगा। प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली हो परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। परीवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी प्रकार के प्रतिकर के अधिकारी नहीं होंगे।
 5. सेवा सम्बन्धी मामलों में अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा बाह्य दबाव का प्रयोग किया गया अथवा करवाया गया तो उत्तरांचल सरकारी सेवा नियमावली-2002 के अधीन यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 6. चयनित अभ्यर्थियों के पूर्वावृत्त का सत्यापन उनके गृह जनपद के पुलिस अधीक्षक से कराकर प्राप्त सत्यापन सूचना की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाये।
- 2- अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व उनके निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों को जांचोपरान्त स्वयं पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें:-

- क. हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र।
- ख. शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता (ए0एन0एम0) सम्बन्धी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
- ग. उत्तराखण्ड नर्सस एण्ड मिडवाइव्स काऊन्सिल द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का मिलान करना सुनिश्चित करें।
- घ. आरक्षित श्रेणी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों), विवाहित महिला अभ्यर्थी के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैवाहिक प्रमाण पत्र।
- च. जिन चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य में लागू आरक्षण के अन्तर्गत चयनित किया गया है। अतः उनके उत्तराखण्ड मूल/स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यकीय रूप से देखने के पश्चात ही उन्हें नियुक्ति आदेश दिया जाय।
- छ. उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ज. अभ्यर्थी का पहचान पत्र।

3- उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां प्राप्त कर उन्हें स्वयं प्रमाणित कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लें व सम्बन्धित अभिलेखों की एक-एक प्रमाणित प्रति इस महानिदेशालय को उपलब्ध कराये तथा अभ्यर्थियों को योगदान कराते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी मूल रूप में प्राप्त कर लिये जायें:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
2. अन्तिम शिक्षा/प्रशिक्षण जहां से प्राप्त किया हो उस संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
3. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
4. संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण-पत्र।
5. उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित का अनुपालन करने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
6. चल/अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।

7. नियुक्ति पत्र में इस आशय का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया जाये कि नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल में किसी भी समय में किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों, घोषणा के आधार पर नियुक्ति पाई है तो उनकी सेवाएँ तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, इस आशय का शपथपत्र योगदान कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त कर लिया जाये।
 8. जिन अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अपने मूल जनपद से इतर आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति पत्र।
 9. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्रों/जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है, से अवश्य करा लें।
 10. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह उल्लेखित हो कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक पति/पत्नी न हों।
 11. निर्धारित तिथि (..... अप्रैल, 2023) के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को योगदान न कराया जाये तथा योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूची स्पीड पोस्ट/विशेष पत्र वाहक द्वारा महानिदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।
- 4- उपरोक्त वर्णित सूची में अंकित क्रमांक संख्या को अभ्यर्थी की वरिष्ठता न मानते हुये चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता नियमानुसार जनपद स्तर पर निर्धारित कर ली जाये।
- नोट:- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करने के उपरान्त उनकी सूचना सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को भेज दी जाये।

भवदीया,
 Bak
 10.3.23
 (विनीता शाह)
 महानिदेशक।

पत्र सं०:-3प/प0क0/05/23/2021/1055 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, हाऊस न0-23, लेन न0-3, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून को शासन के उक्त पत्र दिनांक 21.02.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संज्ञानित होते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2022 के सापेक्ष घोषित चयन परिणाम दिनांक 16.01.2023 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. कु0/श्रीमती/सुश्री.....पुत्री/पत्नी.....को इस आशय से प्रेषित कि विलम्बतम् दिनांक अप्रैल, 2023 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ से उपरोक्त वर्णित मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों तथा उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों सहित सम्पर्क करें। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति हेतु आपका चयन/अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(सरोज नैथानी)
 निदेशक (रा0का0)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

पत्र सं०-3प/प0क0/05/23/2021/

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2023

विषय:- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या-3प/प0क0/स्वा0कार्य0/73/2010/5908, दिनांक 14.03.2016, के अन्तर्गत विज्ञापित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्समय महानिदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करते हुए, आपके जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पद के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में तैनाती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक ...10... अप्रैल, 2023 तक आपसे सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है:-

क्र0 स0	नाम	पिता /पति का नाम	पता	गृह जनपद	ए0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	जन्म तिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी (उर्ध्व/ क्षैतिज)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुषमा गुनसोला	श्री गबर सिंह गुनसोला	सेक्टर-7 बी, म0न0-273 बौराडी, नई टिहरी	टिहरी	जुलाई-2009	15.09.1989	Gen
2	कु0 गीता भट्ट	श्री सत्य प्रकाश भट्ट	निर्बल आवास कॉलोनी, सेक्टर- 13ए, म0सं0-96, बौराडी, नई टिहरी।	टिहरी	जुलाई-2009	10.10.1987	Gen
3	कु0 रविता जुगरान	श्री श्याम लाल जुगरान	ग्राम जुगड गाँव, पो0ओ0 नैल चन्वा टिहरी।	टिहरी।	जुलाई-2009	10.02.1986	Gen
4	श्रीमती अमिता बडोनी	श्री मनोज बडोनी	ग्राम नकोट, पो0 किर्तिनगर, पौड़ी।	टिहरी।	जुलाई-2009	04.02.1985	Gen
5	श्रीमती रोशनी उनियाल	श्री गौतम उनियाल	आई0टी0आई0 कैम्पस, नई टिहरी।	टिहरी।	जुलाई-2009	14.08.1985	Gen
6	श्रीमती सविता रावत	श्री संजय सिंह रावत	ग्राम ग्वाड़ (खाल), पो0 ओखला, पट्टी-रैका, तहसील प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल।	टिहरी।	जुलाई-2009	19.04.1985	Gen
7	श्रीमती सविता पैन्थूली	श्री मणी राम पैन्थूली	एच0एन0बी0 मार्ग निकट गढ़वाल रोलिंग मिल वार्ड न0 2, ढालवाला, पो0-मुनीकीरेती,	टिहरी।	जुलाई-2009	01.02.1988	Gen

			टिहरी गढ़वाल।				
8	संगीता चौहान	श्री जोत सिंह रावत	म0न0 213 सैक्टर -8वी, बौराडी, नई टिहरी।	टिहरी।	जुलाई-2009	06.08.1980	Gen
9	श्रीमती पूनम धूलिया	श्री कुलदीप धूलिया	नेगी जरनल स्टोर, नियर वाटर टैंक, विकास मार्ग, पौडी गढ़वाल।	टिहरी।	जुलाई-2009	28.06.1987	Gen
10	श्रीमती चेतना	श्री सतीश चन्द्र थपलियाल	द्वारा-देव मेडिकल स्टोर, ब्लॉक रोड, चम्बा, पो0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल।	टिहरी।	जुलाई-2009	12.01.1981	Gen
11	श्रीमती अलकनन्दा सेमवाल	श्री संजय कुमार बहुगुणा	22/11 तेग बहादुर रोड़, लेन न0 4, देहरादून।	टिहरी।	जुलाई-2009	15.01.1977	Gen
12	कु0 रेखा जुयाल	श्री प्रेम दत्त जुयाल	ग्राम जलबालगाँव, मल्ला पो0 मदननेगी, टिहरी।	टिहरी।	जुलाई-2009	10.03.1988	Gen

उपरोक्त नियुक्तियाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 440 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापित दिनांक 14.03.2016 के सापेक्ष जारी चयन परिणाम में दिव्यांगजनों हेतु अग्रणीत किये गये सामान्य श्रेणी के 33 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में प्रदान की जा रही है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के द्वारा रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 का नियमानुसार अनुपालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपरोक्त सूची में उल्लिखित/चयनित अभ्यर्थियों को अपने जनपद के स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के स्थाई रिक्त पदों पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र जारी कर इस महानिदेशालय को भी अवगत कराये:-

1. चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू0-5200-20200 वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन-2000 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-3, रू0-21,700-69100) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।
2. यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 के अधीन की जा रही है।
3. उनकी यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और कभी भी बिना पूर्व सूचना के बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर माना जायेगा। प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली हो परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। परीवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी प्रकार के प्रतिकर के अधिकारी नहीं होंगे।
5. सेवा सम्बन्धी मामलों में अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा बाह्य दबाव का प्रयोग किया गया अथवा करवाया गया तो उत्तरांचल सरकारी सेवा नियमावली-2002 के अधीन यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन उनके गृह जनपद के पुलिस अधीक्षक से कराकर प्राप्त सत्यापन सूचना की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

2- अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व उनके निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों को जांचोपरान्त स्वयं पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें:-

क. हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र।

- ख. शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता (ए0एन0एम0) सम्बन्धी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
- ग. उत्तराखण्ड नर्सस एण्ड मिडवाइव्स काऊन्सिल द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का मिलान करना सुनिश्चित करें।
- घ. आरक्षित श्रेणी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों), विवाहित महिला अभ्यर्थी के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैवाहिक प्रमाण पत्र।
- च. जिन चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य में लागू आरक्षण के अन्तर्गत चयनित किया गया है। अतः उनके उत्तराखण्ड मूल/स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यकीय रूप से देखने के पश्चात ही उन्हें नियुक्ति आदेश दिया जाय।
- छ. उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ज. अभ्यर्थी का पहचान पत्र।

3- उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां प्राप्त कर उन्हें स्वयं प्रमाणित कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लें व सम्बन्धित अभिलेखों की एक-एक प्रमाणित प्रति इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें तथा अभ्यर्थियों को योगदान कराते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी मूल रूप में प्राप्त कर लिये जायें:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
2. अन्तिम शिक्षा/प्रशिक्षण जहां से प्राप्त किया हो उस संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
3. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
4. संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण-पत्र।
5. उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित का अनुपालन करने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
6. चल/अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
7. नियुक्ति पत्र में इस आशय का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया जाये कि नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल में किसी भी समय में किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों, घोषणा के आधार पर नियुक्ति पाई है तो उनकी सेवाएँ तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, इस आशय का शपथपत्र योगदान कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त कर लिया जाये।
8. जिन अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अपने मूल जनपद से इतर आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति पत्र।
9. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्रों/जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है, से अवश्य करा लें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह उल्लेखित हो कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक पति/पत्नी न हों।
11. निर्धारित तिथि (..... अप्रैल, 2023) के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को योगदान न कराया जाये तथा योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूची स्पीड पोस्ट/विशेष पत्र वाहक द्वारा महानिदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

4- उपरोक्त वर्णित सूची में अंकित क्रमांक संख्या को अभ्यर्थी की वरिष्ठता न मानते हुये चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता नियमानुसार जनपद स्तर पर निर्धारित कर ली जाये।

नोट:- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करने के उपरान्त उनकी सूचना सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को भेज दी जाये।

भवदीया,

Bah

(विनीता शीह)

महानिदेशक।

तददिनांक।

पत्र सं0:-3प/प0क0/05/23/2021/2057

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या-1/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ।

2. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, हाऊस न0-23, लेन न0-3, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून को शासन के उक्त पत्र दिनांक 21.02.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संज्ञानित होते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2022 के सापेक्ष घोषित चयन परिणाम दिनांक 16.01.2023 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. कु0 / श्रीमती / सुश्री.....पुत्री / पत्नी.....को इस आशय से प्रेषित कि विलम्बतम् दिनांक अप्रैल, 2023 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल से उपरोक्त वर्णित मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों तथा उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों सहित सम्पर्क करें। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति हेतु आपका चयन/अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(सरोज नैथानी)
निदेशक (रा0का0)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उधमसिंह नगर।

पत्र सं०:-3प/प0क0/05/23/2021/

105/6

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 2023

विषय:- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या-3प/प0क0/स्वा0कार्य0/73/2010/5908, दिनांक 14.03.2016, के अन्तर्गत विज्ञापित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्समय महानिदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करते हुए, आपके जनपद में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त पद के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में तैनाती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 10 अप्रैल, 2023 तक आपसे सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है:-

क्र० सं०	नाम	पिता /पति का नाम	पता	गृह जनपद	ए0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	जन्म तिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी (उर्ध्व/क्षैतिज)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नीतू ठाकुर	श्री रमेश चन्द्र	राम राज रोड, स्टेट बैंक वाली गली, वार्ड न0 11, बाजपुर, उधमसिंह नगर।	उधमसिंह नगर।	जुलाई-2009	01.01.1988	Gen

उपरोक्त नियुक्तियाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 440 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2016 के सापेक्ष जारी चयन परिणाम में दिव्यांगजनों हेतु अग्रणीत किये गये सामान्य श्रेणी के 33 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुतोष के साथ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 के समादर में प्रदान की जा रही है।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-I/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के द्वारा रिट याचिका संख्या-1020(एस0/एस0)/2021, नीमा गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 09.11.2022 का नियमानुसार अनुपालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उपरोक्त सूची में उल्लिखित/चयनित अभ्यर्थियों को अपने जनपद के स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के स्थाई रिक्त पदों पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र जारी कर इस महानिदेशालय को भी अवगत करायें:-

- चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू0-5200-20200 वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन-2000 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-3, रू0-21,700-69100) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवा नियमावली-1997 (प्रथम संशोधन)-1998 के अधीन की जा रही है।
- उनकी यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है और कभी भी बिना पूर्व सूचना के बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष की अवधि तक परीवीक्षा पर माना जायेगा। प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परीवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर कर ली हो परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में परीवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। परीवीक्षा अवधि में संतोषजनक कार्य न करने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे किसी प्रकार के प्रतिकर के अधिकारी नहीं होंगे।
5. सेवा सम्बन्धी मामलों में अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वाह्य दबाव का प्रयोग किया गया अथवा करवाया गया तो उत्तरांचल सरकारी सेवा नियमावली-2002 के अधीन यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों के पूर्वावृत्त का सत्यापन उनके गृह जनपद के पुलिस अधीक्षक से कराकर प्राप्त सत्यापन सूचना की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

2- अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व उनके निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों को जांचोपरान्त स्वयं पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें:-

- क. हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र।
- ख. शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता (ए0एन0एम0) सम्बन्धी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
- ग. उत्तराखण्ड नर्सिंग एण्ड मिडवाइव्स काउन्सिल द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का मिलान करना सुनिश्चित करें।
- घ. आरक्षित श्रेणी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिनांक 10.04.2016 तक वैध जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों), विवाहित महिला अभ्यर्थी के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैवाहिक प्रमाण पत्र।
- च. जिन चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य में लागू आरक्षण के अन्तर्गत चयनित किया गया है। अतः उनके उत्तराखण्ड मूल/स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवश्यकीय रूप से देखने के पश्चात ही उन्हें नियुक्ति आदेश दिया जाय।
- छ. उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय दिनांक 10.04.2016 तक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ज. अभ्यर्थी का पहचान पत्र।

3- उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां प्राप्त कर उन्हें स्वयं प्रमाणित कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लें व सम्बन्धित अभिलेखों की एक-एक प्रमाणित प्रति इस महानिदेशालय को उपलब्ध करायें तथा अभ्यर्थियों को योगदान कराते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी मूल रूप में प्राप्त कर लिये जायें:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
2. अन्तिम शिक्षा/प्रशिक्षण जहां से प्राप्त किया हो उस संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
3. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
4. संविधान के प्रति निष्ठा का प्रमाण-पत्र।
5. उत्तराखण्ड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 तथा समय-समय पर यथा संशोधित का अनुपालन करने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
6. चल/अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
7. नियुक्ति पत्र में इस आशय का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया जाये कि नियुक्ति के पश्चात सेवाकाल में किसी भी समय में किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों, घोषणा के आधार पर नियुक्ति पाई है तो उनकी सेवाएं तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, इस आशय का शपथपत्र योगदान कराने से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त कर लिया जाये।
8. जिन अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अपने मूल जनपद से इतर आंचलिक जनपद में नियुक्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी अनापत्ति पत्र।
9. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्रों/जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है, से अवश्य करा लें।
10. सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यह उल्लेखित हो कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक पति/पत्नी न हों।
11. निर्धारित तिथि (..... अप्रैल, 2023) के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को योगदान न कराया जाये तथा योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की सूची स्पीड पोस्ट/विशेष पत्र वाहक द्वारा महानिदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

4- उपरोक्त वर्णित सूची में अंकित क्रमांक संख्या को अभ्यर्थी की वरिष्ठता न मानते हुये चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता नियमानुसार जनपद स्तर पर निर्धारित कर ली जाये।

नोट:- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करने के उपरान्त उनकी सूचना सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को भेज दी जाये।

भवदीया,

Bah
10.3.23

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

पत्र सं०:-3प/प0क0/05/23/2021/1059

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या-I/100815/2023 (e-file/comp. no.-29010/2022) दिनांक 20.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, हाऊस न0-23, लेन न0-3, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून को शासन के उक्त पत्र दिनांक 21.02.2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संज्ञानित होते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 824 पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2022 के सापेक्ष घोषित चयन परिणाम दिनांक 16.01.2023 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोपरि।)
3. कु0/श्रीमती/सुश्री.....पुत्री/पत्नी.....को इस आशय से प्रेषित कि विलम्बतम् दिनांक अप्रैल, 2023 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, उधमसिंह नगर से उपरोक्त वर्णित मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों तथा उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों सहित सम्पर्क करें। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति हेतु आपका चयन/अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा तथा किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
5. गार्ड फाईल।

(सरोज नैथानी)
निदेशक (रा0का0)